# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—270/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/270)**

1. गणपत पुत्र हगामा
2. सम्पत पुत्र मोहन
3. भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र रायमल (फोत 23—5—2022) जरिए वारिसान
   3/1 कल्याण पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र रायमल
4. रामा पुत्र बद्री
5. छोटू पुत्र हजारी
6. पोलू पुत्र हजारी

   समस्त जाति धोबी निवासी पीपरोली तहसील टांटोटी जिला केकडी

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. सुरेश कुमार पुत्र मोखम चन्द (लाऔलाद फौत)
2. चेतन पुत्री लादूलाल
3. नगीना पुत्री मोखमचन्द
4. प्रेम देवी पुत्री मोखमचन्द
5. पारस कुमार पुत्र मोखमचन्द
6. मंजू देवी पुत्री मोखमचन्द
7. विनोद कुमार पुत्र मोखमचन्द
8. शारदा पुत्री लादूलाल
9. सरला पुत्र मोखमचन्द
10. सीमा पुत्री मोखमचन्द

    समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम गुदलिया तहसील टांटोटी जिला केकडी।
11. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, टांटोटी जिला केकडी।

**रेस्पोडेन्ट्स**

12. छोटी देवी पत्नि हरलाल
13. जेठी पुत्री हरलाल
14. नीतू पुत्री हरलाल
15. पूजा पुत्री हरलाल
16. पांचू पुत्र बद्री
17. रामा पुत्र बद्री
18. कैलाश पुत्र बद्री (फौत) (30.08.2022) जरिए वारिसान
    18/1 सोनू पुत्र स्व0 कैलाश
    18/2 सुनिल पुत्र स्व0 कैलाश
19. सांवरा पुत्र बद्री
20. भागचन्द पुत्र हगामा
21. महेन्द्र पुत्र हरलाल
22. महावीर पुत्र हरलाल
23. रामधन पुत्र मोहन
24. मदन पुत्र मोहन (फौत) (24.08.2024) जरिए वारिसान

24/1 शंकर पुत्र स्व0 मदन
24/2 राजेश पुत्र स्व0 मदन
24/3 विनोद पुत्र स्व0 मदन
25. गोपी पुत्र मोहन
26. लाली पुत्र हरलाल
27. शिवराम पुत्र हगामा
28. सत्यनारायण पुत्र रायमल
29. सतू उर्फ रतन पुत्र हजारी (फौत) (17.06.2024) जरिए वारिसान
29/1 तेजपाल पुत्र सतू उर्फ रतन
29/2 रामप्रसाद पुत्र सतू उर्फ रतन
समस्त जाति धोबी निवासी पीपरोली तहसील टांटोटी जिला केकडी।

**तरतीबी रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 19.09.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड राजस्व वाद संख्या 226/2024**

**उपस्थितः—**

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6, 7, 10
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8, 9, अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 12 से 29/2 तामील बंद

## निर्णय

**दिनांकः—07.05.2026**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 226/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.09.2024 को चलने योग्य नहीं होना मानकर खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 226/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8, 9, अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो०. संख्या 1 सुरेश कुमार द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात नोटिस प्रस्तुत ही नहीं किए बल्कि न्यायालय द्वारा समय समय पर नोटिस प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस प्रस्तुत ही नहीं किए गए यहां तक कि दिनांक 9–2–2022 को नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया एवं 24–2–2022 को भी नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक रूप से नोटिस पेश करने का निर्देश दिया गया किन्तु उसके बावजूद भी नोटिस प्रस्तुत नहीं किए गए बल्कि सीधे तौर पर ही अखबार में साया करवा कर सभी गैर सायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया गया जिसके बाबत आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपने आदेश दिनांक 19–9–2024 को सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जो स्पष्टतया अविधिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब उनके स्वयं के आदेश की पालना रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा नहीं कि गई तो कानूनन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नॉन कम्पलाईस में खारिज किया जाना चाहिए था किन्तु उन्होंने किसी भी प्रकार के नोटिस प्रस्तुत ही नहीं किए बल्कि सीधे तौर पर ही अखबार में साया करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे ही अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया एवं रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण की ओर से एक न्यायिक सिद्धान्त 2016 आरबीजे पेज 32 प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान दिए गए हैं कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र अथवा अपील प्रस्तुत की जा सकती है तथा न्यायालय ने केवल यह मान कर कि केवल एकपक्षीय डिक्री किए जाने पर ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 प्रस्तुत किया जा सकता है किंतु धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध उपरोक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किया जाता है सरासर गलत अंकित किया है क्योंकि जा0दी0 की धारा 141 के तहत जो कार्यवाही मूल वाद अथवा अपील में होगी वही कार्यवाही प्रर्किण कार्यवाहियों अर्थात प्रार्थना पत्रों में भी लागू होगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थन पत्र को सरसरी तौर पर बिना किसी कारण के केवल यह मानकर की न्यायालय हाजा को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया जाना उचित नहीं है क्यों कि यह डिक्री का प्रकरण नहीं है एवं खारिज कर दिया है जो स्पष्टया अविधिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रार्थीगण/अपीलांट की भूमि को खराब करने के उददेश्य से रेस्पो0

संख्या 1 को रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए गए है। विचारण न्यायालय ने मरे हुए व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्णय पारित किया है जो कानूनी नजर में शून्य है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 226/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रकरण संख्या 2020/00090 अन्तर्गत धारा 251 ए में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2024 को निर्णय पारित किया था। प्रार्थी सुरेश कुमार नाऔलाद फौत हो चुके है एवं उसकी पत्नी भी फौत हो चुकी है। उक्त प्रकरण के अप्रार्थीगण ने मृतक सुरेश कुमार के विरूद्ध न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना कर स्थगन का कानूनन अधिकार अपीलीय न्यायालय को है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 खारिज फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधिवत रूप से नोटिस तामील होने के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 29.02.2024 को निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनते हुए अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.09.2024 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी 151 जा0दी0 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 की अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 का भी अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2024 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि एक ही अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 एवं दिनांक 19.09.2024 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त दोनों ही प्रकरण के क्रमांक 226/2024 व 2020/00090 भिन्न भिन्न हैं तथा दोनों ही प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा

चाहा गया अनुतोष भी भिन्न हैं। अपीलांट द्वारा एक ही अपील के माध्यम से दोनों आदेशों को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

इस संदर्भ में हमारे द्वारा **सीपीसी, 1908 के आदेश 9 नियम 13** का अवलोकन किया गया।

**प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–** किसी ऐसे मामले में जिसमें **डिक्री** किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह **डिक्री** पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह **वाद** की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक **डिक्री** उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

परंतु जहां **डिक्री** ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादीयों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी।

परंतु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित **डिक्री** को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितत हुई थी।

**स्पष्टीकरण**–जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित **डिक्री** के विरूद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय **डिक्री** को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।

अतः सीपीसी में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी 151 जा0दी0 केवल **वाद** अर्थात एकपक्षीय **निर्णय व डिक्री** पर ही प्रावधान लागू होते हैं। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर विधिवत रूप से खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम एक SUMMARY PROCEEDING ( संक्षिप्त न्यायिक कार्यवाही ) है जिस पर सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 सीपीसी 151 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **आरबीजे(23) 2016 पेज 32** प्रस्तुत किए हैं जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

*अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।*

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 226/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**